**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 56**

**उत्तर देने की तारीखः 24.11.2014**

**शिक्षा का अधिकार अधिनियम का स्वरूप**

**56. श्री विजय गोयलः**

**श्री प्रभात झाः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मौजूदा स्वरूप को लेकर कई राज्यों द्वारा सवाल उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों द्वारा उठाए गए सवाल से सहमत है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मौजूदा स्वरूप में बदलाव करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

**(**श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)

**(क) से (घ): कुछ राज्‍य सरकारों ने नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कुछ उपबंधों के संबंध में मुद्दे उठाए हैं, इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप-समिति ने, सतत् और व्‍यापक मूल्‍यांकन पद्धति के परिप्रेक्ष्‍य में विद्यार्थी को ‘’एक ही कक्षा में न रोकने (नो डिटेन्‍शन)’’ के मुद्दे की जांच की है और अपनी रिपोर्ट दे दी है।**

**(ङ) और (च) : फि़लहाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।**

**\*\*\*\*\***